संख्या-77/2018/ 1518 /सत्ताइस-10-18-26बजट/17टीसी

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

G-669
दिनांक 21/6/18

सेवा में,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 20 जून, 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की सम्भावित स्थिति से निपटने हेतु स्थापित लघु डाल नहरों से 24 घण्टे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों में स्थापित लघु डाल नहरों पर जीर्ण-शीर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई विभाग उ0प्र0 के पत्रांक-3189/02-56/कार्यरत लघु डाल नहर आधु./2018-19/नलकूप नियंत्रण, दिनांक 20.04.2018 एवं शासनादेश स0-16/2018/3640/सत्ताइस-10-17-26बजट/17टीसी, दिनांक 23.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की सम्भावित स्थिति से निपटने हेतु स्थापित लघु डाल नहरों से 24 घण्टे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों में स्थापित लघु डाल नहरों पर जीर्ण-शीर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 9,44,61,000/- के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 5,44,00,000/- (रूपये पांच करोड़ चौवालीस लाख मात्र) व्यय करने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त परियोजना से पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-16/2018/3640/सत्ताइस-10-17-26बजट/17टीसी, दिनांक 23.02.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 के 'लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल-03-उठाऊ सिंचाई-0301-कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी की जा रही है।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
संयुक्त सचिव

संख्या-1518 (1)/सत्ताइस-10-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0,लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-13
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
(10) गार्ड बुक (बजट)।

E.E(c)

आज्ञा से

(शिव कुमार पाठक)